

Office of the D.G./M.D./M.M. REGIONAL MANAGER

Rajasthan State Industrial Development & Investment Corp. Ltd.  
Matsya Industrial Area, ALWAR.

101 meter extension to allotment no. 4612  
Plot 11-6-86 situated in  
M's. MODI CHAMPION LTD.  
MODI NAGAR - 201/204" (UP)

MOBI'ALKALIES &  
CHEMICALS LTD.

Date: 29th May, 1986

11-6-86

3 JUN 1986

Subject-Affidavit of Land for establishment of industry at  
Industrial Area MIA, ALWAR, India is enclosed herewith.

Dear Sir,

In continuation to our letter No. 4612 dated 11-3-86, vide which  
provisional allotment offer was given to you, the Management is pleased to give you allotment of  
plot no. 83214 measuring 83214 sq. meters in industrial area MIA, ALWAR near  
for setting up SPARK PLUG unit on the following terms and conditions:- Saraf Paper  
Mill.

1. That you shall deposit on this office the economic rent of the land allotted to you at the rate  
of Rs. 37.60 per year for every 4000 sq. meters within one month from the date of issue of  
this order and in future at the beginning of each calendar year in advance by 31 January of  
that year.

2. That you shall pay the balance 75 percent of development charges calculated at the rate of  
Rs. 15/- per sq. meters and amounting to Rs. 8,98,210.00 within 90 days  
from the date of issue of this letter.

3. You are also required to pay amount of security money as may be required by the Corporation  
from time to time for carrying out the above mentioned charges plus interest thereon.  
The payments as explained above to be paid as hereunder may please be deposited in the office  
of the undersigned either in cash or in the shape of demand draft payable to 'RIICO Ltd., Alwar'  
within the prescribed time.

1. Security money of land	Rs. 42,000.00
2. 75 percent development charges	Rs. 8,98,210.00
3. Economic Rent for the year 1986-87	Rs. 780.00
4. Services charges for the year	Rs. -
	Total 9,40,990.25

4. On deposition of the amount as above you will get the lease deed of the plot executed  
and get it registered at your cost with our Estate Manager within 90 days from issue of  
this letter. You will also take possession of the plot within 10 days of execution of  
lease deed.

5. In case any extension of time limit is required for depositing the economic rent, balance  
amount of 75 percent development charges, signing and executing the lease deed, taking  
over possession of plot or any of its application stating the cogent reasons, therefore should  
reach the undersigned within the time limit prescribed for each of those items.

6. In case amounts as stated at para 3 above is not paid and lease deed is not executed within  
90 days from the date of issue of allotment order or within the authorised extended period  
this allotment order shall be automatically treated as cancelled and security money deposited  
by you shall stand forfeited to the Corporation.

F&S SCOTCH RESINS PRIVATE LIMITED

7. That you would install a dust controller in your industry to avoid dust nuisance the area (applicable in case dust producing industries).
8. That you shall contribute towards the expenditure on construction of drainage system for effluents of your industry in the desired proportion as may be decided by the Corpn.
9. The allotment is subject to condition that the effluent discharge have to be persuaded to the satisfaction of State Water Pollution Board.
10. This allotment is subject to the condition that before disposal of said sludge you will pretreat it as may be required to the satisfaction of State Water Pollution Board.
11. In case power/telephone line is passing through your plot the Co-operation does not undertake any responsibilities for its removal. You would be required to plan your construction accordingly leaving prescribed set backs on either side of it.
12. Your registered office should be in Rajasthan.
13. That you shall make tree planting at least of 300 Nos. of trees in your plot.


Thanking you,


Yours faithfully,


  
REGIONAL MANAGER

1. Managing Director RAJCON JAIPUR
2. Chief Manager (P & I) RICO Limited, Jaipur.
3. Joint Director, Alwar.
4. Dy. Director (Civil), Alwar.
5. Estate Manager B.I.W.D./Bharatpur/MIA Alwar for information that the constitution of the firm is as below.
  - (A) Sole Proprietorship.
  - (B) Partnership, the distribution will be as follow : LTD.
  - (1)
  - (2)
  - (3)
  - (4)
  - (5)
  - (6)
  - (7)
  - (8)
6. Asstt. Engineer RSEB (Distribution) Tijara/Alwar.
7. Project Acctt. Alwar.
8. Asstt. Engineer, water Pollution & Control Board, Alwar.
9. Surveyor, Alwar.

REGIONAL MANAGER

 Dr/Director (Intra.)

 P.P. Murphy Resorts Private Limited

 Director Authorised Signatory

(3)

(45)

### POSSESSION REPORT

WE the following have handed/taken over the physical possession of plots allotted to M/s Modi Champion Ltd. to the best of our satisfaction as per enclosed site plan.

Handed over by


Mahadev Verma  
*(Mahadev Verma)*  
Asstt. Regional Manager  
Rajasthan State Industries &  
Investment Development Corp.,  
Matysa Indl. Area  
Alwar

Taken over by

*V*  
(V. Narasimhan)  
Authorised signatory  
Modi Champion Ltd.  
Alwar-Delhi Road  
Alwar

For Surbhi Resorts Private Limited

*[Signature]*  
Director/Authorised Signatory



(47)

## राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, लि.



12/10/86  
पट्टा समझौता



श्रीदीगिक क्षेत्र

कौपापार्टी  
प्रतिष्ठान  
संघर्ष



17 (27.11.86)

यह पट्टा समझौता आज, दिन ..... नवम्बर सन् एक हजार नौ सौ रुपये ५० को राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, लि., जयपुर, जो कि एक निगमित निकाय है एवं भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय उदयग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर - 302005 में है (जिसे आज के बाद से पट्टेदार के नाम से चुकारा जायगा एवं यह अभियक्षित, जब तक इसके अंश प्रतिकूल न हों, उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितों के लिए प्राप्त होंगे ।)



प्रत्यक्ष  
प्रथम प्रथम एवं

श्री .....  
निवासी .....  
के स्वामी हैं ।

सुपुत्र

इकहरे स्वमित्र वाले प्रतिष्ठान

अधिका

उप्र  
उप्र  
उप्र  
उप्र



कौपापार्टी  
प्रतिष्ठान  
निवासी

FOR MODI CHAUFFION LTD.  
Manufactured & Signed by [Signature]

सुपुत्र

सुपुत्र

सुपुत्र

सुपुत्र

सुपुत्र

सुपुत्र

सुपुत्र

सुपुत्र

सुपुत्र



कौपापार्टी

प्रत्यक्ष

निवासी

एक प्रतिष्ठान है जो भूतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 18, कम्युनिटी हाउस में है ऐनलॉनी नं ८ दिल्ली ६५

एक समिति है जो सहकारी समिति अधिनियम के प्रन्तर्गत पंजीकृत है, जिसे आज के लिए भवल वट्टाधारी पुकारा जायगा एवं इस अभिव्यक्ति से, यदि इसके अंश तथ्यों के प्रतिकूल न कोपा।

प्रशासक, वैद्य प्रतिनिधि एवं अनुग्रह समनुदेशत, द्वितीय पक्ष के बीच तैयार किया गया जिसमें  
 'कालेपर'

राजस्थान राज्य ने ..... में पट्टेदार (राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि०) को श्रीधोगिक लेन की स्थापना हेतु भूमि आवंटित की है एवं पट्टेदार ने (निगम) उपरोक्त भूमि को श्रीधोगिक ईकाइयों की स्थापना हेतु भूखण्डों में विभाजित किया है। इनमें से प्रत्येक भूखण्ड समुचित पौर-प्रतिष्ठान एवं अधिकारियों, संस्था द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण योजना एवं फैक्ट्री उपनियम के अनुसार उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगियों को आवंटित की जायेगी,

**Neas-Saraf Paper Mills** मोदी एपिफन लिमिटेड  
ओर जिसमें भूखण्ड संस्था को, जिसे आज के बाद से ..... के नाम ये जाना  
शायेगा, पट्टेदार ने पट्टे पर देने की एवं पट्टाधारी ने पट्टे पर लेने की सहमति व्यक्त की है। इसके  
निष्ठम एवं शर्तों के अनुसार इस औद्योगिक क्षेत्र में ..... के अन्तर्गत पट्टाधारी समुचित पौर-वित्तिज्ञान  
एवं अन्य उपयुक्त संस्था के द्वारा अनुमोदित डिजाइन और भवन निर्माण योजना के अनुसार ..... के  
लिए एक औद्योगिक ईकाई की स्थापना करेगा।

## अम्भोता का स्वरूप

1. इस सहमति एवं समझौते के अनुसार पटेदार मट्टाधारी के द्वारा वाधिक शाखिक किसी भी के 84-52  
 ..... (रो. आठ सौ लाख तीन हजार रुपये) मात्र की प्राप्ति ही स्वीकृति होता है।  
 इसके अनुसार पटेदार अपर्याप्त ग्रोविंग क्षेत्र के अन्तर्गत भूखंड संख्या 89762-16 का ही है। ही सहमति एवं समझौते के अनुसार पटेदार मट्टाधारी को सौंपता है। इस भूखंड की ओहदी निम्नानुसार है :

उत्तर में Main Road Alwar-Delhi

दक्षिण में Cultivation Land

पूर्व में..... M/S Saraf Papri Mills

परिचम में Cultivator Land १७। १०।

और उपरोक्त भूखंड का सुस्पष्ट रेखाचित्र संलग्न योवना पत्रक में श्रेष्ठीचित्रित है तथा लाल निशान से "रोका हआ" अंकित है। उपरोक्त भूखंड को आज से "आवंटित" राज्य घोषित हो जो अनुलग्नकों के साथ पद्धारी को 11-6-1986  
उत्तराधिकारी तथा समनुदेशितों के पास सुरक्षित रहेंगे : 27

(प्र.) प्रदृष्टवाहक अथवा उसके समनुदेशित उत्तराधिकारियों के द्वारा आवश्यक समझा जाने पर औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित भूमि के ऊपर नीचे से जल निकास / आपूर्ति के लिए नाली / नालों या विद्युत तारों को लाने का अधिकार

(मा) आवासित भूमि के परिसर या किसी भ्रंश में जमीन के ऊपर या नीचे पाये जाने वाले किसी खाना या खनिज पर प्रदूषक अभिकलन

पास होगा। निगम के पास प्रत्येक पांच वर्ष में आंयिक किराये की दर के परिशोधन का अधिकार होगा। परन्तु उस अवधि के किराये की दर में बढ़ोतरी हर परिशोधन के समय, उससे ठीक पहले के परिशोधन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। किराये की प्रमाण जो निगम के द्वारा निर्धारित की जायेगी वह आवंटी के लिए अनितम, निरायिक एवं बंधनकारी होगी और इसे कानून के किसी भी कबहरी में या किसी अन्य रूप में पेश नहीं किया जा सकेगा।

(४)

## कोषाधिकार संघरण

आगे शर्त यह है कि यदि पट्टाधारी ने राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या अनुसूचित बैंकों से आवंटित परिसर एवं इस पर स्थित भवन एवं यंत्रादि उपकरण के जमानत पर किसी प्रकार का विकास करणे ले रखा हो तो पट्टे दार का प्रथम दावा राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या अनुसूचित बैंक के दावे के आगे गौण हो जायेगा यदि राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या अनुसूचित बैंक ने अपने बंधक प्रपत्र में कोई ऐसी विशेष धारा या शर्त रखी हो कि इनमें से किसी भी शर्त (पट्टा समझौता) की अवहेलना को बंधक शर्त की अवहेलना माना जायेगा।

आगे शर्त यह भी है कि उपरोक्त धारा उस आवंटित भूमि में स्थित निर्माणों पर लागू नहीं होगी जिसे निगम ने "किराया खरीद" आधार पर दिया हो। इस हालात में राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या आई. डी. वी. आई. या आई. सी. आई.सी. आई. एल. आई. सी. या अनुसूचित बैंक के दावे के आगे गौण हो जायेगा यदि राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या अनुसूचित बैंक ने अपने बंधक प्रपत्र में कोई ऐसी लिए हुए किसी भी विकास करणे पर प्रस्तुत कर सकेगा।

पट्टाधारी का पट्टे दार के प्रति उत्तरदायित्व :

ग्राम-वर्त ४८१  
२३-५-५८  
लड्डू

## कोषाधिकार संघरण

- यह कि पट्टाधारी उन समस्त पौर कर, कर, प्रभार एवं हर प्रकार के बर्गित मूल्यांकन को वहन करेगा, अदा करेगा एवं खारिज करेगा जो उपरोक्त अवधि में आवंटित परिसर या उस पर निर्मित भवन के लिए भू-स्वामी या किरायादार या अधिभोगी पर निर्धारित किया जायेगा, प्रभारित किया जायेगा या अधिरोपित किया जायेगा।
- यह कि पट्टाधारी उन समस्त सेवा शुल्क, पथ अनुरक्षण प्रभार, पथ प्रकाशन शुल्क, वृक्ष संरक्षण शुल्क इसके दूसरे आनुषांगिक शुल्कों को वहन करेगा, प्रदा करेगा एवं खारिज करेगा जो औद्योगिक क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उपरोक्त अवधि में पट्टे दार के द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रभारित किया जायेगा, उगाही की जायेगी या अधिरोपित किया जायेगा।
- यह कि पट्टाधारी पौर प्रतिष्ठान या विद्यमान या संभाषण अन्य अधिकृत संस्थाओं की आज्ञा मानेगा। अधीनता स्वीकार करेगा तथा ये नियम ही क्षेत्र स्थित अचल संपत्ति पर भी लागू होंगे जहां तक उनका इस क्षेत्र में रहने वाले दूसरे निवासियों के स्वास्थ्य, सुखा, सुविधा पर प्रभाव का सम्बन्ध है।
- यह कि पट्टाधारी आवंटित परिसर में अभिन्यात योजना, उत्सेध एवं डिजाइन के अनुसार रचनाकार्य करेगा और कार्यविधि ऐसी होगी जिसे पट्टे दार एवं उत्युक्त स्थानीय प्राधिकरण लिखित रूप में अनुमोदित करे। ये औद्योगिक ईकाइयां, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, समस्त आवश्यक बहिर्भवन, जलदाय एवं निकास साधन एवं अन्य अनुलभताओं से युक्त मौलिक इकाइयों के अनुरूप होंगे जैसा कि भवन, नालियां, शौचालय एवं सीबर से इनको जोड़ने के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकरण के नियम एवं उपनियम में वर्णित है। पट्टाधारी ये महिने की अवधि में इस प्रकार का रचना कार्य आरम्भ कर देगा एवं इन प्रस्तुतियों के अधिकारी द्वारा इसकी अवधि में या पट्टे दार के इच्छा से अवधि बढ़ाने की लिखित रूप में अनुमोदित कर बड़ाई गई अवधि में रचना कार्य पूर्ण कर उत्पादन के लिए तैयार कर देगा।
- यह कि पट्टाधारी आवंटित परिसर एवं इस पर निर्मित भवन को हर समय अच्छी तरह से एवं पूर्ण मरम्मत एवं स्वच्छ हालत में रखेगा।


में पूर्वानुमति के बिना तथा तत्संबंधित अनुमति जरूर एवं पट्टेदार तथा स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदित रेलाचित्र के बिना उक्त भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन न तो करेगा न ही करने की अनुमति देगा साथ ही आवंटित परिसर में न तो किसी नए भवन का निर्माण करेगा न ही निर्माण करने की अनुमति देगा और इस प्रकार को जरूर एवं रेलाचित्र की अवहेलना की स्थिति में पट्टेदार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से इस प्रकार का कार्य करने की सूचना पर तत्काल ही उपरोक्त अवहेलना को सुधारेगा, और पदि पट्टाधारी इस प्रकार की सूचना पाने के बाद एक कैलेण्डर महीने के अन्दर अवहेलना को सुधारने में उपेक्षा ग्रन्त करेगा तो पट्टेदार अथवा स्थानीय प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रकार की अवहेलना की पट्टाधारी के खंड पर सुधार करवाये और पट्टाधारी एतद्द्वारा सहमत होगा कि जो खंड पट्टाधार/स्थानीय पीर-प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, इस हेतु निर्धारित करेगा, उसे वह पट्टाधार/स्थानीय प्राधिकरण को अदा करेगा और पट्टाधार/स्थानीय प्राधिकरण, स्थिति जैसी भी हो, का निर्णय अनितम होगा।

(ग) यह कि पट्टाधारी पट्टेदार/स्थानीय प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुरूप आवंटित भूमि में बनाए जाने वाले भवन तक सरकारी सड़क/निगम की सड़क से उप-सड़क बनवाएगा तथा नाली के आर-पार ढक्कन का निर्माण करेगा एवं इसके रख-रखाव की देखभाल करेगा।

(घ) यह कि पट्टाधारी इन नियमों एवं शर्तों को तथा पट्टेदार एवं स्थानीय पीर प्राधिकरण के द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले नियमों एवं शर्तों को मद्देनजर रखकर तथा लिखित रूप में पट्टेदार और स्थानीय पीर-प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना आवंटित परिसर में उपरोक्त आद्योगिक उद्देश्यों के अलावा न तो स्वयं किसी प्रकार का आपत्तिजनक व्यापार या व्यवसाय करेगा न ही किसी अन्य को इस प्रकार का कार्य करने की अनुमति देगा तथा न तो किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए स्वयं उपयोग करेगा न ही किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति देगा तथा आवंटित परिसर में अथवा इसके किसी हिस्से में न तो कोई ऐसा कार्य करेगा न करने की अनुमति देगा जो पट्टेदार या स्थानीय पीर प्राधिकरण या पड़ोस के परिसरों के मालिकों अथवा कब्जेदारों के लिए क्षेत्र (कंटक) क्षति, विरक्ति या असुविधा का कारण हो या इन्हें पैदा करे।

(ग्र) यह कि पट्टाधारी पट्टेदार के बिना निर्दित पूर्वानुमति के आसी मर्जी से आवंटित परिवर्त या उपर्योग के अस्तित्व या दोनों का हस्तांतरण नहीं करेगा, दर किरायेदारी पर नहीं देगा, त्यागेगा नहीं, बंधक नहीं रखेगा या किसी और को नहीं सौंपेगा और इस प्रकार के समस्त हस्तांतरण, औरों को सौंपना, त्याग, बंधक या दर किरायेदारी या दोनों ही इस समझौते में निर्दित निगम एवं शर्तों से बढ़ होंगे तथा इन सारे मामलों में पट्टेदार के प्रति उत्तरदाती होंगे और पट्टाधारी, जैसा कि पहले कहा जा चुना है, पट्टेदार की अनुमति के बावजूद भी आवंटित परिसर को पूरे के अलावा आंशिक रूप में किसी और का नहीं सौंपेगा, त्याग नहीं करेगा, बंधक नहीं रखेगा, दर-किरायेदारी पर नहीं देगा, हस्तांतरण नहीं करेगा या अलग नहीं होगा या भीटर अथवा घेरों से या अन्य किसी तरीके से पुनर्विभाजित नहीं करेगा। इस भूमि का नियंत्रण योजनानुसार उद्योग की स्थापना हेतु पट्टाधारी इस आवंटित परिसर के आधार पर कब्जा किए गये इसके स्वामित्व को राज्य सरकार या भारतीय आद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या आई. डी. बी. मर्केट या आई. सी. आई. सी. आई. या एल. आई. सी. या अनुसूचित बैंक से कहण प्राप्त करने के लिए प्राप्त किए हुए ऋणों की स्थिति बंधक रख सकेगा लेकिन उपरोक्त धारा 1 (इ) की दूसरी शर्त के मुताबिक यह पट्टेदार के पूर्व कार्यभार के अधीन होगा।

यह कि यदि कभी भारतीय आद्योगिक वित्त निगम या उपरोक्त अन्य कोई भी वित्तीय संस्था पट्टाधारी के द्वारा अथवा अन्यों को लेते समय किए गए किसी करार के मुताबिक बधक रखे गए आवंटित परिसर को लेने, बेचने, पट्टे पर देने या किसी अन्य को सौंपने का निर्णय करे या समय विशेष की किसी वसीयत के मुताबिक बेचने, पट्टे पर देने या अन्य को सौंपने की बात करे तो वह पट्टेदार एवं उपरोक्त वित्तीय संस्था अथवा संस्थाओं के बीच आपसी विचार के आधार पर ही होगा।



41

15

यह कि यदि स्वीकृति अवधि के दौरान उक्त परिसर का सौंपे जाने के कारण या मृत्यु के कारण या कानूनी कायंबाहु के कारण या अन्य किसी कारण से समनुदेशन, उत्तराधिकार प्रदान या हस्तांतरण होता है तो पट्टेदार को एतद् द्वारा इस बात की अनुमति दी जाती है कि वह इस प्रकार के समनुदेशन की, उत्तराधिकार प्रदान या हस्तांतरण की तिथि से एक कैलेण्डर महीने के अन्दर समनुदेशन की, उत्तराधिकार प्रदान की या हस्तांतरण की सूचना पट्टेदार को पाठ्यों के नाम एवं समनुदेशन के समस्त वर्गों एवं गत्सम्बन्धित विवरण एवं प्रभाव के साथ और इसके साथ ही इस सूचना के साथ दिए गए समनुदेशन के सारे प्रमाण पत्र या वसीयत या प्रशासन पत्र, डिगरी, आदेश, प्रामाणिकता या दूसरे दस्तावेज जो इस प्रकार के समनुदेशन, उत्तराधिकार या हस्तांतरण को प्रभावित करें या प्रमाणित करें, प्रस्तुत करे और उपरोक्त दस्तावेज जो उक्त सूचना के साथ भेजे जाएंगे, पट्टेदार के कायलिय में कम से कम सात दिनों तक रहेंगे और एतद् द्वारा इस नियम का प्रावधान किया जाता है कि इस नियम की अवहेलना किए जाने की स्थिति में पट्टेदार को अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना इस पट्टा समझौता की अवहेलना का निर्णय करने का अधिकार होगा और नियम भंग के कारण पट्टाधारी को ₹० होगा।



यह कि पट्टाधारी करारनामे की अवधि के दौरान पट्टेदार के सदस्य, अधिक उनके द्वारा नियुक्त कारीगर को एवं अन्य व्यक्तियों को निरीक्षण के हेतु उचित सौंपे पर आवंटित परिसर या उसमें बनने वाले भवन के अन्दर यदेगा।



यह कि पट्टाधारी पालतू मवेशी, कुचे, मुर्गी या अन्य किसी जीव-जन्तु के लिखित आदेश प्राप्त किए बगैर किसी भी प्रकार का तबेला, छप्पड़ या अन्य करेगा न करने की अनुमति देगा।

(क) यदि आग, तूफान, बाढ़ या किसी सैनिक आक्रमण/विद्रोह या किसी बेकाम परिसर की किसी महत्वपूर्ण वस्तु का पूर्ण अथवा आंशिक नुकसान इच्छा पर पट्टे का निर्णय करेगा न ही पट्टेदार को सतिपूर्ति हेतु जिम्मेदार बने।

(ख) यह कि पट्टाधारी उपरोक्त परिसर के अधिग्रहण के दिन से अठारह कैलेण्डर निर्माण करवा लेगा तथा भवन के साथ आवंटित परिसर को कायं हेतु तैयारी स्थिति में समझौते की तरीख से चौबीस महीनों के अन्दर यह कायं यदि पट्टेदार स्थिति को पट्टाधारी के नियंत्रण से बाहर समझकर अपनी करे।




यह कि आवंटित भूक्तंड नियम को प्रत्यावर्तित हो जायेगा/जाएंगे यदि उक्त परिवर्धन करने के लिए निर्धारित/विभिन्न समय समाप्त हो जाता है।

(ग) यदि पट्टे की अवधि के दौरान पट्टाधारी या उसके कारीगर या नौकर

- आवंटित भूमि में सन्निहित या समीपवर्ती किसी भवन अथवा किसी अन्य निर्माण के किसी भी अंश को नुकसान पहुंचाएंगे अथवा नष्ट करेंगे,

- किसी आधारभूत सुरंग अथवा दूसरी खाइयों को आवंटित परिसर में खुला या अनावृत रखेंगे जिससे स्थितिकृत या समीपवर्ती किसी भवन को झटि पड़े जाए अथवा कोई भवन नष्ट होगा या





धारी को इस प्रकार से हुई अति के लिए क्षात्रपूत देना होगा इसका नवायर ५८ दा.  
का निर्णय, जो अति की सीमा या अति की मात्रा के सम्बन्ध में होगा, अन्तिम होगा और पट्टेदार चाहे  
तो इस प्रकार के आदेश प्राप्त करने के तीन महीने के अन्दर पंच (यायाधीश) के पास ग्रीन (याचिका  
दायर) कर सकता है और यदि पट्टेदार ने ऐता करना पसन्द किया तो वह पंच (यायाधीश) के फैले को  
मानने के लिए बाध्य होगा।



(३) यदि पट्टेदारी पंजीकृत साफेदारी में हो या बिना पंजीकृत पट्टेदारी में हो या कम्पी हो या सहारी  
समिति हो और इसे पुनर्गठित किया जाता हो अथवा इसका समाप्त किया जाता हो तो पट्टाधारी के  
उत्तराधिकारी अपने हिन में इस प्रकार के पुनर्गठन अथवा समाप्त के 60 दिन के अन्दर पट्टेदार के  
साथ बन्धनकारी अनुबन्ध में आ जाएंगे और पट्टा समझौता के समस्त शर्त, नियम, अनुबन्ध, प्रावधान  
एवं समझौतों को मानेंगे और निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। इसकी अवहेलना की स्थिति में पट्टेदार को  
समझौते के बारे में निर्णय करने का अधिकार होगा।



यदि आविटिट परिसर में लियत उद्योग को राज्य सरकार या भारतीय ओडियोगिक वित्त निगम या राज-  
स्थान वित्त निगम या किसी अन्य वित्तीय संस्था से वित्तीय सहायता दी गई हो तो इस धारा के अन्तर्गत  
वर्णित "निर्णय लेने का अधिकार" का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा तथा उपरोक्त वित्तीय संस्था इस बात  
का निर्णय करेगी कि वह बंधक परिसंपत्ति को अपने कब्जे में ले ले या बेच दे या पट्टे पर दे या किसी की  
सौप दे। ऐसा बहुत समझौते के द्वारा पट्टेदार से प्राप्त अधिकारों के आधार पर या सन्य विशेष के निसी  
कानून के द्वारा कर सकेंगे।



(४) यदि पट्टेदारी पंजीकृत है अथवा बिना पंजीकृत साफेदारी में है अथवा कोई सहारी समिति है तथा इसे  
विवरित कर दिया जाता है और इसके विवरण के साठ दिन के अन्दर हित को ध्यान में रखकर यदि  
उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है तो उस समझौते के निर्णय का अधिकार पट्टेदार को होगा।

इन प्रस्तुतियों के आधार पर पाठ्यों के द्वारा आपस में निम्नलिखित सहमति की भी घोषणा की जाती  
है। **पट्टाधारी को पट्टेदार की विधायिक पट्ट एवं अधिकार को  
उसकी या उत्तराधिकार के द्वारा देना होगा।**

(५) यदि कोई पट्टेदार की नियाह में इस समझौते में वर्णित किसी भी तिन अवश्य शर्त की अवहेलना  
पट्टाधारी अथवा उसके किसी व्यक्ति के माध्यम से की जाती है अथवा उपवारा के सामाजिक कथन के प्रति  
बिना किसी विशेष प्रतिकूल प्रभाव के उसके द्वारा ऐसी हरकत की जाती है अथवा उसमें पायी जाती है, यदि  
पट्टाधारी पूर्ण सम्मति के बाजाप्रांगिक रूप में इसका हस्तांतरण करता है, जानी करता है, बंधक रखता है  
या सौंपता है या पट्टेदार से लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त किए बगैर पूरे यांत्रिक परितर का हस्तांतरण  
करता है, जानी करता है, बंधक रखता है या सौंपता है जैसा कि इस समझौते में पहले ही बारा 2(२) के  
कानूनी विवाद में वर्णित है। यदि पट्टाधारी पूर्ण वर्णित शर्त के अनुरूप भवन निर्माण प्रारम्भ करने में एवं पूर्ण  
करने में अवसर्पन होता है या पट्टेदार का किया जाना रहता है या धारा (१) में वर्णित हिन का कोई  
हिस्सा छोड़ा (२) में वर्णित सेवा युक्त काव्या रहता है और इनके जमा करने की व्यवधि की समाप्ति के  
90 दिन बाद तक पट्टेदार को उनकी अदायगी नहीं होती है या यदि पट्टाधारी को प्रश्ना उन व्यक्तियों को  
जो शर्तों के प्रति उत्तरदादी हैं, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या यदि पहले बाए गए मुताबिक इस  
समझौते का निर्णय किया जाता है तो बारा 2(२) के प्रावधानों के अनुराग पट्टेदार को यह अधिकार  
होगा। (इस समझौते में किसी प्रकार की अवहेलना की स्थिति में किसी अन्य कार्यवाही के अधिकार पर प्रतिकूल  
व्यापार के बिना) कि न्यायालय की मदद लिए बगैर आविटिट भूमि के किसी हिस्से पर या पूरी भूमि पर  
कब्जा कर ले और फिर यह आवंटन पूर्णतया रद्द हो जायेगा और निर्णीत हो जायेगा और इन प्रस्तुतियों  
के द्वारा पट्टाधारी के द्वारा दिये गए रूपये पट्टेदार के द्वारा जब्त कर लिए जाएंगे और अविधानों पर प्रति-  
कूल प्रभाव के बिना पट्टेदार पट्टाधारी से सारा रूपया १९/१८ सेकंड़ा सालाना ब्याज की दर से बसूल करेगा



जो किसी भी प्रकार की स्थिति पाने का अधिकार नहीं होगा।





किराया समस्त पौर कर एवं दूसरे कर और सेवा शुल्क जैसे संरक्षण शुल्क सहित उस अधिकारी तक निर्धारित अन्य शुल्क तथा समस्त अतिपूर्ति और पट्टेदार के बाकी रकमों को चुकता कर आवंटित परिसर से अपने सारे भवन एवं रचना कार्य में लगे हए सामान तथा दूसरी वस्तुएँ ले जाय। आवंटित परिसर से सारी वस्तुएँ पट्टाधारी को पट्टेदार के निर्णय के तीन महीने के अन्दर हटा लेने होंगे। यदि पट्टाधारी ऐसा करने में असम्भव हुआ तो आवंटित परिसर का भवन एवं अन्य निर्माण कार्य तथा सामानों पर पट्टेदार का हक होगा और पट्टाधारी को इस दावे का कोई अधिकार नहीं होगा कि वह पट्टेदार से उस समय तक जमा किये गए अपने राशियों की मांग करे या आवंटित भूमि पर की अपनी संरचना अथवा सामानों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करे।

यह कि पुनर्वेश एवं निर्णय का यह अधिकार लागू नहीं होगा यदि आवंटित परिसर में स्थापित उद्योग को राज्य सरकार या भारतीय अर्थोगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम, आई०डी०बी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई०, एल०आई०सी० या अनुसूचित बैंकों के द्वारा वित्त प्रदान किया गया हो और उपरोक्त वित्तीय संस्था पट्टेदार के द्वारा समझौते के भंग होने की सूचना पाने के 90 दिनों के अन्दर इसका निदान प्रस्तुत कर दें।

- (अ) समझौतों/शर्तों के भंग होने के सम्बन्ध में समस्त कानूनी कायंवादियों जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जा सकेंगे, अन्यत्र कहीं भी नहीं। पट्टाधारी को आवंटित पत्र की संतरण अवृत्त भोजी।
- (इ) तत्काल आवंटित परिसर पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी के भंग होने के कारण यदि पट्टेदार को किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ा तो पट्टेदार को इसे पट्टाधारी से वसूल करने का हक होगा। पट्टाधारी को 1000/- तक के अंतर्वर्ती प्रति वर्ष 10%
- (ई) यदि पट्टेदार की ओर से किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से युक्त पावती सहित रजिस्ट्री द्वारा कोई नोटिस पट्टाधारी के नाम भेजा जाता है तो उसे यथेष्ट रूप से कायं सम्पादन का हेतु माना जायेगा और जिस समय वह रजिस्ट्री पत्र सामान्य तरीके से वितरित कर दिया जायेगा और यदि वह पट्टाधारी की अस्वीकृति अथवा किसी अन्य कारण से लौट आयेगा तो भी उसे आवश्यक सेवाओं की पूर्णता मान लिया जायेगा। पट्टेदार के द्वारा किए गए नियमों भी निर्णय को उपरोक्त विधि से ही सम्पादित किया जायेगा।
- (उ) अर्थोगिक ईकाई के व्यावसायिक रूप से उत्पादन शुरू कर देने के बाद पट्टाधारी के द्वारा आवेदन करने पर आवंटन के आवेदन के साथ जमा जमानती रकम लौटायी जायेगी।
- (क) पट्टा समझौता में वर्णित किसी भी नियम का किसी भी समय उल्लंघन होने पर जमानत की रकम (राशि) जबत मानो जाएगी।

D. उमान-बड़ी-र

इस पट्टी समझौता में वर्णित अधिकारों का प्रयोग राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिंग के प्रबन्ध निदेशक, अथवा इसके लिए अधिकृत। किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के द्वारा किया जायेगा।

यह कि उक्त "प्रबन्ध निदेशक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जिसे प्रबन्ध निदेशक के समान कार्यों के अधिकारों के साथ पट्टेदार नियुक्त करता है।



(कलेक्टर) के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पूर्ण रूप से विचार के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जहां पर पट्टे पर दी गई भूमि स्थित है। इस प्रकार के पंच (न्यायाधीश) का फैसला पार्टियों के लिए बन्धनकारी होगा।

(ग्रो) इस समझौते के लिए टिकट एवं पंजीयन शुल्क के खर्च पट्टाधारी के द्वारा बहन किए जाएंगे। एतद द्वारा व्यापारी रूप में पार्टियों ने आज, ..... सन् उन्नीस सौ ..... के ..... मास की तारीख ..... को इस नियमित लेख को प्रस्तुत किया। *Lessee Shall Start Construction after getting the N.O.C from pollution Board.*

S. No. - 15/02/09  
Due Charges: 13,44,736/-

हस्ताक्षर

~~5000/-~~ = 8162.5/-  
Total 13,44,736/-

Stamp Duty - 1,62,150/-

ग्राह : + 8000/-

धनवर

= 1,90,130/-

नाम :

पट्टाधारी :

कृते

FOR MODI CHAMBERS LTD.



511 23/3/87

(5)

500  
1061  
6081  
 $\sqrt{500+1061+6081} = 1453$   
23.3.87

23.3.87

511 2249374  
23.3.87

✓ यात्रा क्रमांक 23-3-87  
यदि दर्जनका विवरण

Sur

लग्नका विवरण

W

कालीन राशि दर्ज करने की विधि विवरण  
देख, एक बार देखें

लग्नका विवरण

13,93,778 = 42 R.

विवरण का दूसरा भाग विवरण

कृष्ण अंशु विवरण 10202

54. इन दोनों विवरणों का योग 21 अंश 20 मिनट

जो अंश 21 मिनट है उसका विवरण

1. 512 204030  $\sqrt{512+204030} = 489$   
23.3.87

लग्नका विवरण

23/3/87

MALIN

ASSTT

R.

A.

24.3.87

T 300

जीमान जिला दंगोदर के पश्चिमांक 1883-85 ई० 7 12  
के संदर्भ में यहां किलोमीटर 1. गुग्गापाणी

उपर दंगोदर, राजस्थान

वाय विनाक	21	12	सन्तुल	88
की तुलक उल्ला	लग्ज	की विल्ड	50	
तुलक उल्ला	13-14	कर रुपय	2459	परिवह
किला रुपय	1.9	कर रुपय	352	की विल्ड
रुपय	1.9	रुपय	367	

गुग्गापाणी

उपर दंगोदर, राजस्थान  
पंचायत अधिक  
राम ठ (अलंक)